

आदेश, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



वाद सं०-M-14 / 2019



धारा-107 द०प्र०सं०

दुख देवी

बनाम

शन्तु महली वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम.<u>14</u> / 20<u>19</u>, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सोनागढ़ (राँची)</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>02/19</u> दिनांक-<u>26-02-19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>हैनी पत्नी में शमि विवाद को लेकर गाली गलौज भगड़ करने के संबंध में विवाद है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>18/03/19</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)। </div> </div>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवाई तारीख सहित
16-09-19	<p>आगिलेखा उपस्थानित 1 समय पत्र उपस्थित 1 प्रथम पत्र के अधिवक्ता द्वारा गवाही हेतु आगली तारीख की मौजूदगी की दिनांक 27-09-19 की रहे।</p> <p style="text-align: right;">1 16/9/19</p>	
27-09-19	<p>आगिलेखा उपस्थानित 1 प्रथम पत्र उपस्थित दिनांक पत्र अधिवक्ता एजरी 1 उक्त वाद में (66) आद की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वादकालवाधित हो गया है।</p> <p>अतः वाद में आगिलेखा की कारवाही बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">  27/9/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी सुपुड (रांची)  27/9/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी सुपुड (रांची) </p>	